भारत संघ व अन्य

बनाम

बिपाड़ भंजन गायेन

(सिविल अपील संख्या 3470 ऑफ 2008)

9 मई, 2008

(तरुण चटर्जी और हरजीत सिंह बेदी, जे.जे.)

सेवा विधि :

बर्खास्त-सत्यापन फॉर्म की जानकारी रोकने के लिए-कांस्टेबल के रूप में चयन लंबित सत्यापन- उम्मीदवार का सत्यापन में यह बताना होगा कि क्या वह आपराधिक मामले में शामिल था - उम्मीदवार अभी भी परिवीक्षा के अधीन है - उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा न करना - जब यह पाया गया कि वह आपराधिक मामलों में शामिल था तो समाप्ति - शुद्धता - माना गया: उसे सही तरीके से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उसने संबंधित जानकारी का छुपाया था - ऐसी स्थिति में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के किसी भी कलंकपूर्ण पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता - केवल यह कि उसे आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था, उसे दोषमुक्त नहीं किया जाएगा सत्यापन फॉर्म सही ढंग से भरने का उनका दायित्व-रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987-r.67.

प्रतिवादी का 20 अक्टूबर 1993 का रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल के रूप में प्रशिक्षण के लिए चुना गया था और उसकी घोषणा के संदर्भ में सत्यापन लंबित था कि क्या वह कभी किसी आपराधिक मामले में शामिल रहा हो, उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। उपरोक्त घोषणा का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया गया था तब यह

सामने आया कि वह धारा 376 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध में शामिल था और धारा 417 आईपीसी के तहत एक और मामला शिकायत के आधार पर अदालत में लंबित था। यह जानकारी प्राप्त होने पर, 10 जुलाई 1995 का पुलिस मामले में उनकी संलिप्तता और सत्यापन प्रपत्र में इस तथ्यात्मक जानकारी का छुपाने के आधार पर उसकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश पारित किया। उपरोक्त आदेश के परिणामस्वरूप, 15 जुलाई 1995 का एक औपचारिक आदेश द्वारा प्रतिवादी की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। 10 जुलाई 1995 और 15 जुलाई 1995 के आदेशों का उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की अनुमति दी और आक्षेपित आदेशों का इस आधार पर रद्द कर दिया कि इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। - आदेश दिए जाने से पहले प्रतिवादी का सुनवाई का काई अवसर नहीं दिया गया था और चूंकि आदेश कलंकात्मक और दंडात्मक प्रकृति के थे, इसलिए उन्हें उचित जांच आदि के बिना जारी नहीं जा सकता था। अपील किये जाने पर, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों का बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील है।

अपील का स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने माना:

1. रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 के नियम 57 में, विस्तार के अधीन नियुक्ति की तारीख से 2 साल की परिवीक्षा अवधि का प्रावधान है। नियम 67 में प्रावधान है कि सुरक्षा बल के नामांकित सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती से चयनित व्यक्ति का किसी भी स्तर पर सेवामुक्त किया जा सकता है, यदि मुख्य सुरक्षा अधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, सुरक्षा बल के हित में ऐसा करना तब तक उचित समझता है जब तक रंगरूट का औपचारिक रूप से सुरक्षा बल में नियुक्त नहीं किया गया है। इन दो नियमों का पढ़ने से पता चलता है कि जब तक किसी भर्ती

का औपचारिक रूप से बल में नामांकित नहीं किया जाता है, तब तक उसकी नियुक्ति बेहद क्षुद्र होती है। यह स्वीकृत तथ्य है कि जब प्रतिवादी की सेवाएँ समाप्त की गई थीं तब तक वह परिवीक्षा के अधीन था। रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी का सत्यापन प्रपत्र में दिए गए तथ्यों के सत्यापन के अधीन परिवीक्षा पर नियुक्ति दी गई थी। इसलिए, यदि किसी जांच से पता चलता है कि दिए गए तथ्य गलत थे, तो अपीलकर्ता प्रतिवादी की सेवाओं से छूट देने के लिए स्वतंत्र था क्योंकि इस स्तर पर किसी भी कलंक और दंडात्मक परिणाम का सवाल ही नहीं उठता है। प्रतिवादी की सेवा समाप्ति का कारण उन दो मामलों में उसकी संलिप्तता नहीं है जो उस समय लंबित थे, और जिसमें बाद में उसे उन्मोचित कर दिया गया था, लेकिन तथ्य यह है कि उन्होंने परीक्षण प्रपत्र भरते समय प्रासंगिक जानकारी छिपा ली थी। एक पुलिस अधिकारी के रूप में रोजगार के लिए उच्च स्तर की ईमानदारी की आवश्यकता होती है और ऐसे व्यक्ति से कानून का बनाए रखने की उम्मीद की जाती है, और इसके विपरीत, धोखे और छल से पैदा हुई ऐसी सेवा का बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। [पैरा 5] [104-ए-जी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं अन्य वि. राम रतन यादव, (2003) 3 एससीसी 437-पर भरोसा किया।

और.राधाकृष्णन बनाम पुलिस महानिदेशक एवं अन्य, (2008) 1 सेकंड 660 – अंतर किया।

ए.पी. लोक सेवा आयोग बनाम कानेटी वेंकटेश्वरुलु एवं अन्य, (2005) 7 एससीसी 177; *हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम सत्येन्द्र सिंह राठौड़* (2005) 7 एससीसी 518 – संदर्भित किया।

2. उत्तरदाता की ओर से प्रासंगिक जानकारी का रोकने का यह जानबूझकर किया गया प्रयास था और यही वह है लोप है जिसके कारण परिवीक्षा अवधि के दौरान उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। ऐसी स्थिति में किसी दंडात्मक परिणाम या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के कारण उपकार की उम्मीद नहीं की जा सकती। उत्तरदाता का बाद में आपराधिक मामलों में उन्मोचित कर दिये जाने के तथ्य मात्र से वह सही और सटीक सत्यापन फॉर्म भरने के अपने दायित्व के बारे में उस समय पर मुक्त नहीं हो जाता जिस तारीख का उसने ऐसा किया था। [पैरा 8] [107-बी;सी,डी]

सिविल अपीलीय न्यायक्षेत्र: सिविल अपील संख्या 3470/2008

कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता के MAT NO. 686/2000 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.7.2006 से।

आर. मोहन, एएसजी मोहम्मद, मन्नान और डी.एस. महरा अपीलकर्ता के लिये।

एस.के. भट्टाचार्य, बी.पी. यादव और सरला चंद्रा उत्तरदाता के लिये।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

हरजीत सिंह बेदी, जे.

1. अनुमति दी गई.

2. यह अपील भारत संघ एवं अन्य ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27 जुलाई 2006 के विरुद्ध दायर की गयी है जो निम्नलिखित तथ्यों से उत्पन्न होता है:

3. प्रतिवादी, बिपद भंजन गायेन का चयन रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल के रूप में प्रशिक्षण के लिए 20 अक्टूबर 1993 किया गया और उसे इन फार्म नम्बर 12 की इन शर्तो के सत्यापन के लम्बित रहते हुये ट्रेनिंग के लिए भेजा गया कि क्या वह कभी

किसी आपराधिक मामलें में शामिल रहा था। उपरोक्त घोषणा का जिला मजिस्ट्रेट, अलीपोर, 24 परगना (दक्षिण) द्वारा सत्यापित किया गया था जब यह पता चला कि कि वह एफआईऔर नंबर 20/1993 पुलिस स्टेशन, उस्ती में धारा 376 आइपीसी में दण्डनीय अपराध में शामिल रहा है और आईपीसी की धारा 417 के तहत शिकायत पर मामला जाहिरा तौर पर लंबित था। यह सूचना प्राप्त होने पर, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, आरपीएफ, पूर्वी रेलवे, कलकत्ता ने 10 जुलाई 1995 का आदेश पारित करते हुये उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं "डीएम, अलीपोर द्वारा पुलिस मामले में उसकी संलिप्तता की सूचना और उम्मीदवार द्वारा सत्यापन फार्म में इस तथ्यात्मक जानकारी का छुपा लिये जाने के कारण"। उपरोक्त आदेश के परिणामस्वरूप, उत्तरदाता की सेवाएं एक औपचारिक आदेश दिनांक 15 जुलाई 1995 द्वारा समाप्त कर दी गईं। उपरोक्त आदेशो के बाद, उत्तरदाता का 8 जनवरी 1996 का एफआईआर में उन्मोचित कर दिया गया और ऐसा प्रकट होता है कि आईपीसी की धारा 417 के तहत अभियोजन का समाप्त करने के लिये एक अलग कार्यवाही शुरू कर दी गयी थी। आदेश दिनांक 10, जुलाई 1995 और 15, जुलाई 1995 का कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। भारत संघ 11 मार्च 1997 का जिलाधिकारी से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट का विवरण अंकित करते हुये एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय एवं आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 1999 में रिट याचिका स्वीकार की गई और आक्षेपित आदेशों का इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, इसमें याचिकाकर्ता का आदेश किये जाने से पहले सुनवाई का काई भी अवसर नहीं दिया गया और चूंकि आदेश कलंकात्मक और दंडात्मक प्रकृति के थे, वे उचित जांच के बिना नहीं किये जा सकते थे आदि। इसके बाद एक अपील डिवीजन बेंच में ले जाया गया जिन्होनें विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों का समर्थन करते हुये प्रेक्षित किया कि हालाँकि स्वीकृत रूप से उत्तरदाता द्वारा झूठी घोषणा

की गई थी, लेकिन चूँकि आक्षेपित आदेश कलंकपूर्ण था और दंडात्मक परिणामों से उत्तरदाता का अवगत कराता था, नियोक्ता पर यह दायित्व था कि वह उसे प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का अवसर एक पर्याप्त अवसर प्रदान करता। तदनुसार अपील खारिज कर दी गई।

4. भारत संघ के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और खण्डपीठ का निष्कर्ष भी स्पष्ट रूप से ग़लत था क्योंकि प्रतिवादी स्वीकृत रूप से परिवीक्षाधीन था और अपने द्वारा सत्यापन प्रपत्र में दिए गए विवरण के सत्यापन के अधीन, प्रशिक्षण के लिए भेजा गया और जैसे ही तथ्य सामने आए, उत्तरदाता ने स्वयं स्वीकार किया था कि दो अभियोजन थे वास्तव में उस दिन लंबित है जब उसने फॉर्म भरा था, किसी जांच या सुनवाई के अवसर की आवश्यकता का प्रश्न खारिज ही किया जाना था। यह भी अनुरोध किया गया है कि यद्यपि उत्तरदाता का दोनों अभियोजनों में बरी कर दिया गया था लेकिन कदाचार का आरोप सत्यापन का गलत तरीके से भरने का था ना कि किसी आपराधिक मामले में शामिल होने का और इस प्रकार, केवल इस तथ्य से कि उसे दोषमुक्त कर दिया गया है, विवाद के गुण-दोष पर काई प्रभाव नहीं पड़ता। विद्वान वकील ने तदनुसार रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 (इसके बाद इसे "नियम" कहा जाएगा) के नियम 57 और 67 के साथ ही इस न्यायालय द्वारा *केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं अन्य बनाम राम रतन यादव, (2003) 3 एससीसी 437, एपी लोक सेवा आयोग बनाम कानेटी वेंकटेश्वरुलु एवं अन्य। (2005) 7 एससीसी 177 और हरियाणा राज्य जी और अन्य. बनाम सत्येन्द्र सिंह राठौड़ (2005) 7 एससीसी 518* में पारित निर्णयों पर निर्भरता की। हालाँकि, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों का समर्थन किया है और यह इंगित किया गया है कि अपीलकर्ताओं ने सत्यापन प्रपत्र की प्रति रिकॉर्ड पर नहीं रखी थी, सही तथ्यों का

सत्यापित करना संभव नहीं था और हर हालत में आक्षेपित आदेश दिनांक 15 जुलाई 1995 कलंकात्मक है, कायम नहीं रखा जा सका।

5. हमने पक्षों के विद्वान वकील का सुना है और रिकॉर्ड देखा। नियमों के नियम 57 में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि का विस्तार के अधीन प्रावधान है। नियम 67 में प्रावधान है कि सुरक्षा बल के नामांकित सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती से चयनित व्यक्ति का किसी भी स्तर पर सेवामुक्त किया जा सकता है, यदि मुख्य सुरक्षा अधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणो से, सुरक्षा बल के हित में ऐसा करना तब तक उचित समझता है जब तक रंगरूट का औपचारिक रूप से सुरक्षा बल में नियुक्त नहीं किया गया है। इन दो नियमों का पढ़ने से पता चलता है कि जब तक किसी भर्ती का औपचारिक रूप से बल में नामांकित नहीं किया जाता है, तब तक उसकी नियुक्ति बेहद क्षुद्र होती है। यह स्वीकृत तथ्य है कि जब प्रतिवादी की सेवाएँ समाप्त की गई थीं तब तक वह परिवीक्षा के अधीन था। रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी का सत्यापन प्रपत्र में दिए गए तथ्यों के सत्यापन के अधीन परिवीक्षा पर नियुक्ति दी गई थी। हमारे लिए अब, यदि जांच से पता चलता है कि दिए गए तथ्य गलत थे, तो अपीलकर्ता, उत्तरदाता का सेवाओं से उन्मुक्त के लिए स्वतंत्र था, किसी भी कलंक और दंडात्मक परिणाम के प्रश्न इस स्तर पर उत्पन्न नहीं होंगे। यह दोहराव है कि उत्तरदाता की सेवा समाप्त करने का कारण उन दो मामलों में उनकी संलिप्तता नहीं थी जो उस समय लंबित थे और जिसमें उसे बाद में उन्मोचित कर दिया गया, लेकिन तथ्य है कि उसने सत्यापन फॉर्म भरते समय प्रासंगिक जानकारी छिपा ली थी। हमारा यह भी मानना है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में रोजगार के लिए उच्च स्तर की ईमानदारी की आवश्यकता होती है और ऐसे व्यक्ति से कानून का बनाए रखने की उम्मीद की जाती है, और इसके विपरीत, धोखे और छल से पैदा हुई ऐसी सेवा का बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता संघ के विद्वान वकील ने *केंद्रीय विद्यालय*

संगठन (उपरोक्त) के मामले पर सही भरोसा किया है जिसमें न्यायालय का यही कहना था:

> *"यह विवादित नहीं है कि 323,341,294,506-बी सपठित धारा 34 आईपीसी में एक आपराधिक मामला दर्ज उस तारीख का लंबित था जब उत्तरदाता ने सत्यापन प्रपत्र भरा था। अतः उत्तरदाता द्वारा कॉलम 12 और 13 में "नहीं" के रूप में जो जानकारी दी गई है, वह स्पष्ट रूप से तात्विक सूचनाओ का छुपाव है और यह झूंठा कथन भी है। स्वीकृत है कि उत्तरदाता बी.ए., बी.एड. और एम.एड. डिग्री धारक है। उसका माध्यम हिन्दी भी सर्वत्र मान लिया जावे, काई भी विवेकशील व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता कि उन्होंने शिक्षा के किसी भी स्तर पर अंग्रेजी भाषा का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया। यह मामला ऐसा भी नहीं है उत्तरदाता ने कहा कि उसने अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ी। यदि वह उसी सत्यापन में कॉलम 1-11 का सही ढंग से समझ सकता था तो उसके कथन का स्वीकार करना कठिन है कि वह कॉलम 12 और 13 की सामग्री का सही ढंग से नहीं समझ सका था। अन्यथा भी, यदि वह निश्चित रूप से कुछ अंग्रेजी शब्द समझ नहीं पाया था , सामान्य अनुक्रम में वह निश्चित की किसी की मदद ले सकता था। ये होने की स्थिति में ट्रिब्यूनल ने उत्तरदाता के विवाद का खारिज करने में सही किया था और उच्च न्यायालय से इस तर्क का स्वीकार करने में त्रुटि हुई कि उत्तरदाता की शिक्षा हिन्दी माध्यम की थी, वह नहीं कॉलम 12 और 13 की सामग्री का समझ नहीं सका था। यह मामला कॉलम 12 और 13 का खाली छोड़ दिए जाने का नहीं हैं। उत्तरदाता द्वारा अंतर्वस्तुओ का समझे बिना के कॉलम 12 और 13 के विपरीत "नहीं" नहीं कहा जा*

सकता था। बाद में उत्तरदाता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला वापस लिया जाना या अपराध की प्रकृति, हमारी राय में,सारवान नहीं है। सत्यापन प्रपत्र का कॉलम 12 एवं 13 भरने की आवश्यकता, फॉर्म भरने और प्रमाणित करने की तारीख का उत्तरदाता के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के उद्देश्य से था। उत्तरदाता की सेवा में उसकी निरंतरता के सम्बन्ध में, सारवान सूचनाओ का छिपाव एवं गलत जानकारी देना उसके चरित्र और पूर्ववृत्त पर स्पष्ट प्रभाव रखता है।

कॉलम 12 और 13 के अनुसार जानकारी मांगने का उद्देश्य अपराध की प्रकृति या आपराधिक मामले के परिणाम की गम्भीरता का अंततः पता नहीं लगाना था। उक्त कॉलम में जानकारी इस दृष्टि से मांगी गई थी कि सेवा में बने रहने या न रहने के लिए उत्तरदाता के चरित्र और पूर्ववृत्त का मूल्यांकन करें।"

6. इसी तरह *ए.पी. लोक सेवा आयोग* (उपरोक्त) के मामले में भी संबंधित कर्मचारी का कॉलम नंबर 11 भरने के लिए बुलाया गया था कि क्या वह पूर्व में रोजगार में रहा है। कॉलम नंबर 11 अधूरा छोड़ दिया गया था लेकिन उसके संलग्न परिशिष्ट-।।। में एक घोषणा दी गई कि किसी भी सरकारी विभाग/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र में कार्यरत नहीं रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आवेदन स्वीकार कर लिया गया था और उन्हें लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी, जिसे उन्होंने उत्तीर्ण किया, साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और उनका विधिवत चयन किया गया, लेकिन इससे पहले कि उसे परिणाम की सूचना मिल पाती, शिक्षक के पद पर कार्यरत होने की जानकारी मिली है और गलत जानकारी प्रस्तुत की थी। इस न्यायालय ने पाया कि तथ्य यह है कि कर्मचारी जानबूझकर आवेदन में

प्रासंगिक जानकारी का छिपाने में निर्विवाद रूप से शामिल था और आगे निर्धारित किया,

> *"यह स्पष्टीकरण अस्वीकार्य है कि यह अप्रासंगिक था या असावधानी से उत्पन्न हुआ था। हमारे विचार में अपीलकर्ता, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मत पर निर्भर रहते हुये और विरोध करते हुये कि जो व्यक्ति जांच में इस प्रकार के मिथ्या सुझाव और छुपाव में लिप्त है और झूंठे बहाने से रोजगार प्राप्त करता है वह लोक सेवा के लायक नहीं है। हम इस दृष्टिकाण का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।"*

7. हाल ही में और.राधाकृष्णन बनाम पुलिस महानिदेशक एवं अन्य (2008) 1 एससीसी 660 फायरमैन के रूप में नियुक्ति चाहने वाले एक व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र में प्रासंगिक जानकारी का छिपाने का मामला था और न्यायालय का यही कहना था-

> *"निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता का इरादा एक वर्दी की सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने का था। ऐसी सेवा में, सेवा करने का इरादा रखने वाले व्यक्ति से अपेक्षित मानक उस व्यक्ति से भिन्न होता है जो अन्य सेवाओं में सेवा करने का इरादा रखता है। नियुक्ति के लिए आवेदन और सत्यापन रोल दोनों हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी थे। इसलिए, वह एक महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने के अपने कथन या चूक के आशय का जानता था। तथ्य यह है कि इस तरह का खुलासा किए जाने की स्थिति में, प्राधिकारी उसके चरित्र का सत्यापित कर सकते थे कि उसकी नियुक्ति की उपयुक्तता विवाद में नहीं है। यह भी विवाद में नहीं है कि जिन व्यक्तियों ने ऐसा खुलासा नहीं किया था और इस प्रकार समान स्थिति वाले थे, उन्हें नियुक्त नहीं किया गया था।"*

8. हमने पाया कि उपरोक्त उद्धृत मामले की टिप्पणियाँ वर्तमान मामले पर भी पूरी तरह लागू होती हैं। हमारी राय है कि यह प्रतिवादी की ओर से प्रासंगिक जानकारी का छिपाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था और यही वह चूक है जिसके कारण परिवीक्षा अवधि के दौरान उसकी सेवा समाप्त हो गई है। ऐसी स्थिति में किसी दंडात्मक परिणाम या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पढ़ने के प्रश्न का प्रतिपालन नहीं किया जा सकता है। केवल यह तथ्य कि प्रतिवादी का आपराधिक मामलों में बाद में उन्माेचित कर दिया गया है, किसी भी तरह से उसे सत्यापन फॉर्म सही और सटीक रूप से भरने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगा, जैसा कि उसने ऐसा किया था। हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं, आक्षेपित निर्णयों का रद्द करते हैं और रिट याचिका काे खारिज करते हैं।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अमित कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।